दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

दूरभाष : (02836) 270272
फेक्स : (02836) 220047
ईमेल : facao@deendayalport.gov.in
वेबसाइट : www.deendayalport.gov.in

वित्त विभाग,
प्रशासनिक कार्यालय भवन,
पोस्ट बॉक्स संख्या: 50,
गांधीधाम (कच्छ)

संख्या: CDC/Billing Section/Trade Circular/ERP/01 दिनांक: 28.06.2024

व्यापार परिपत्र

सभी संबंधित हितधारकों को सूचित किया जाता है कि दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण अपने व्यवसायिक प्रचालनों को सुव्यवस्थित करने के लिए ईआरपी सॉल्यूशन लागू करने के उन्नत चरण में है। आधुनिकीकरण की पहल के इस हिस्से के रूप में, एक व्यापक पोर्ट प्रचालन प्रणाली का विकास किया गया है, जो १ जुलाई २०२४ से लाइव होने वाली है। यह नई पत्तन प्रचालन प्रणाली, एनएलपी (समुद्री) प्लेटफॉर्म के साथ निर्बाध रूप से एकीकृत है, तथा इसे यातायात और समुद्री प्रचालनों से संबंधित सभी सेवाओं के सुविधाजनक प्रलेखन और प्रबंधन, जिसमें संबंधित भुगतान भी शामिल हैं, को सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सम्माननीय व्यापार जगत को सूचित किया जाता है कि व्यापार जगत के विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण कंडला में समुद्री और कार्गो संबंधी सेवाओं का लाभ उठाने के लिए रिवाल्विंग पीडीए (पोर्ट डिपॉजिट अकाउंट) की प्रणाली शुरू करने जा रहा है।

<u>रिवाल्विंग पीडीए प्रणाली के तहत प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:</u>

1) रिवाल्विंग पीडीए खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं होगी।

2) पत्तन उपयोगकर्ता एनएलपी/ईबीएस पोर्टल के तहत "कार्गो", "समुद्री" या "स्टीवेडोरिंग" के विकल्प का चयन करेंगे और पीडीए खाते में आवश्यक राशि जमा करेंगे।

- घाट शुल्क, भंडारण और विलंब शुल्क के लिए "कार्गो "।
- स्टीवेडोरिंग रॉयल्टी और मोबाइल हार्बर क्रेन के किराए के लिए "स्टीवेडोरिंग"
- समुद्री संबंधित सेवाओं के लिए "जलयान(Vessel)"।

3) एनएलपी/ईबीएस पोर्टल में "कार्गो" का चयन करने पर पत्तन उपयोगकर्ता द्वारा जमा की गई राशि केवल ऊपर बताए अनुसार कार्गो संबंधित मूल्यांकन के लिए उपलब्ध होगी । इसी तरह, "जलयान" या स्टीवेडोरिंग का चयन करने पर पत्तन उपयोगकर्ता द्वारा जमा की गई राशि सबंधित प्रभारों का आकलन करने के लिए ही उपलब्ध होगी। यह ध्यान दिया जाए कि "जलयान" के खिलाफ पीडीए में पड़ी राशि कार्गो संबंधित मूल्यांकन के लिए उपलब्ध नहीं होगी और ऐसा ही अन्य राशियों के साथ भी होगा।

4) कार्गो और समुद्री संबंधित शुल्कों का मूल्यांकन घाटायान अनुरोध से पहले उसी तरह किया जाना आवश्यक होगा जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है।

5) यदि "अदेयता प्रमाणपत्र" (एनडीसी) का अनुरोध करते समय पीडीए खाते में राशि कम है, तो पत्तन उपयोगकर्ता को एनडीसी का अनुरोध प्रस्तुत करने से पहले अंतर की राशि का भुगतान करना होगा और कमी के अनुसार मूल्यांकन करना होगा।

6) यदि पत्तन द्वारा अंतिम बीजक जारी करने के समय राशि में कोई कमी है, तो पत्तन उपयोगकर्ता को अंतर की राशि का भुगतान करना होगा।

7) जलयान के प्रचालन पूरे होने के बाद, दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण द्वारा समुद्री और कार्गो संबंधी गतिविधियों के लिए जहाज को बंद कर दिया जाएगा और यदि अंतिम बिल की राशि शुरुआत में मूल्यांकन के लिए प्राप्त की गई राशि से कम है, तो ऐसी अतिरिक्त मूल्यांकन राशि पत्तन उपयोगकर्ता के पीडीए खाते में वापस जमा कर दी जाएगी, जिसका उपयोग पत्तन उपयोगकर्ता द्वारा किसी अन्य जहाज के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क के मूल्यांकन में किया जा सकता है।

8) पीडीए में पड़ी किसी भी राशि पर कोई ब्याज नहीं प्राप्त होगा। यदि किसी पत्तन उपयोगकर्ता के पास पीडीए में राशि शेष है और वे किसी संभावित प्रभार की उम्मीद नहीं कर रहे हैं, जिसके विरुद्ध शेष राशि का उपयोग किया जा सकता है, तो उन्हें उक्त राशि वापस पाने के लिए पत्तन को एक अनुरोध प्रस्तुत करना होगा। पत्तन आवेदन पर कार्रवाई करके उपयोगकर्ता के बैंक खाते में राशि वापस जमा कर देगा।

28/06/24

उप. मुख्य लेखा अधिकारी
दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण

प्रतिलिपि :

<u>सभी पत्तन उपयोगकर्ता एवं सभी व्यापर संघ</u>
यातायात प्रबंधक/ उप-संरक्षक / मुख्य अभियन्ता / मुख्य यांत्रिक अभियन्ता / मुख्य परिचालन अधिकारी (ओ ओ टी)
टीम लीडर (आई टी) / लेखा अधिकारी (इ डी पी) - कृपया दीनदयाल पत्तन प्राधिकरण की वेबसाइट पर जारी करने के लिए।

अध्यक्ष महोदय के वरिष्ठ निजी सचिव
उपाध्यक्ष महोदय के निजी सचिव